

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक :-स्था/2023/ 26.

दिनांक :- 22.06.2023

::- रिमाण्ड ड्यूटी बाबत संशोधित कार्यालय आदेश -::

श्रीमती नेहा मौर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 104 दिनांकित 22.06.2023 द्वारा अपरिहार्य कारणों से दिनांक 24.06.2023 एवं 25.06.2023 की तृतीय जोन रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ होने से उक्त दिनाकों की रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित करने हेतु पत्र प्रेषित करने एवं श्री सुनील जांगिड़, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा जरिये पत्रांक 86, दिनांक 22.06.2023 द्वारा सहमति प्रदान करने पर इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक सामान्य/2023/21, दिनांक 30.05.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं **रूपेन्द्र चौहान, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** निम्नवत् संशोधित आदेश पारित करता हूँ कि दिनांक 24.06.2023 एवं 25.06.2023 के राजकीय अवकाश में भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र के तृतीय जोन से संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्र की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, प्रोटोकॉल, मृत्यु समीक्षा, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य) कार्य हेतु तृतीय जोन रिमाण्ड ड्यूटी ऑफिसर उपरोक्त दिनांक के लिए श्रीमती नेहा मौर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा के बजाय निम्नानुसार अधिकृत न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक	अधिकृत न्यायिक अधिकारी के मोबाईल नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तृतीय जोन श्री सुनील जांगिड़	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा	24.06.2023 25.06.2023	92149-68143

निर्देश :-

- 01- कि अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 10.00 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा। कोविड-19 संबंधी समस्त गाईड लाईन की पालना कर्तव्यनिष्पादन में सुनिश्चित की जावेगी। दिनांक 24.06.2023 एवं 25.06.2023 के लिए तृतीय जोन के रिमाण्ड अधिकारी का मुख्यालय स्वयं का कार्यालय/न्यायालय रहेगा।
- 02- अधिकृत किए गए न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्वी कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- 03- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्पूर्वी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही न्यायिक अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।
- 04- नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत न्यायिक अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

भीलवाड़ा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)


क्रमांक :-

1990

दिनांक :- 22.06.2023

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा।
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3. समस्त न्यायालय
4. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय भीलवाड़ा
5. अक्षयक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, भीलवाड़ा
6. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, भीलवाड़ा
7. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, भीलवाड़ा
8. जिला कारागृह, भीलवाड़ा
9. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, भीलवाड़ा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करें तथा जिला न्यायालय, भीलवाड़ा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
10. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड


मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा
मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)